(5)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2337—दो/2016 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 23—06—2016 के द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील हनुमना जिला रीवा के प्रकरण कमांक 49/अ—6/अ/2015—16.

.....

1—रमाकांत तनय स्व0 लालजी ब्राहम्ण
2—इन्द्रभान तनय स्व0 मलूके उर्फ श्यामराधे ब्रा0
3—शैलेन्द्र कुमार तनय स्व0 मलूके उर्फ श्यामराधे ब्रा0
4—अशोक कुमार तनय स्व0 मलूके उर्फ श्यामराधे ब्रा0
5—रैन कुमार तनय स्व0 मलूके उर्फ श्यामराधे ब्रा0
6—प्रमिला देवी पति स्व0 श्रीनिवास
7—शुभम तनय स्व0 श्रीनिवास नाबालिग बली संरक्षिका मां प्रमिला देवी
8—सत्यम तनय स्व0 श्रीनिवास नाबालिग बली संरक्षिका मां प्रमिला देवी
सभी निवासी ग्राम झरी, तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0

——— आवेदकगण

विरूद्ध

1— रामकृष्ण पिता स्व0 संकठा प्रसाद ब्रा0
2— मुस0 सावित्री बेवा पत्नी स्व0 संकठा प्रसाद ब्रा0
3— मोतीलाल पिता स्व0 रामभुवन ब्राहम्ण
4— काशी प्रसाद पिता स्व0 रामभुवन ब्राहम्ण
5— सुरेन्द्र कुमार पिता स्व0 रामभुवन ब्राहम्ण
6— महेन्द्र कुमार पिता स्व0 रामभुवन ब्राहम्ण
सभी निवासी ग्राम झरी, तहसील हनुमना
जिला रीवा म0प्र0

——— अनावेदकगण

.....

श्री रमाकांत पटेल, एंव डी. के. पासी अभिभाषकं, आवेदकगण
श्री आर0 एस0 सेंगर, अभिभाषक, अनावेदकगण 1 से 5
अनावेदक कमांक —6 एक पक्षीय

.....

आदेश

(आज दिनांक 15-12-17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय तहसीलदार तहसील हनुमना जिला रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–06–2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2–प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा एक आवेदन पत्र तहसीलदार हनुमना जिला रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जो प्रकरण 16/अ726/86–87 पर दर्ज होकर बटवारा आदेश दिनांक 22.7.87 को पारित किया गया आदेशानुसार पटवारी द्वारा अमल करते समय त्रुटि हो गई, उसी को सुधार हेतु आवेदकगण द्वारा तहसीलदार तहसील हनुमना जिला रीवा के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया जो प्रकरण कमांक 49/अ–6/अ/2015–16 पर दर्ज कर दिनांक 23.6.16 को आदेश पारित कर निरस्त किया गया। इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदकगण के अधिवक्ता का तर्क है कि निगरानीकर्ता जो कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदक थे तथा गैरनिगरानीकर्ता अनावेदक थे, एक ही परिवार के सदस्य हैं, जिनकी पैत्रिक संपत्तियां ग्राम झरी में स्थित हैं। यह प्रकरण मूल रूप से उक्त भूमियों के संबंध में हुये बंटवारा आदेश के विरीत खसरे में की गई गलत प्रविष्टि के सुधार बावत आवेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन को निरस्त कर दिये जाने से निगरानी आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत की है। उनके द्वारा तर्क किया गया है कि आवेदक एवं अनावेदकगण के बीच मुख्य विवाद का प्रश्न हे उसके संबंध में निगरानी के साथ पक्षकारों के सजरा खानदान का अवलोकन भी आवश्यक है उक्त सजरा खानदान के मुताबिक मूल परूष बबोलराम के तीन पुत्र उमा प्रसाद, रामकिशेर और नन्दकिशोर थे पिता के मुत्यु के बाद उनकी संपत्तियों के 1/3–1/3 भाग के मालिक होकर विभाजन कर लिया गया बाद में आगे चलकर रामकिशोर के कोई वारिस न होने से अपने भाई नन्द किशोर के पुत्र रामभुवन जो कि

अनावेदकगण के पूर्वज हैं के नाम कर दिये उक्त रामभुवन अपने बडे पिता से प्राप्त भूमि को अपने पिता से प्राप्त भूमियों में समाहित करके अपने भाइयों लालजी व श्यामराधे के साथ शामिल सरीख रहते हुये उक्त भूमियों का उपयोग समान रूप से करते रहे, इस प्रकार से बबोलराम की संपत्ति का 1/3 हिस्सा उनके बडे पुत्र उमा प्रसाद को प्राप्त हो गया जिस पर कोई विवाद नहीं है 2/3 हिस्सा रामभुवन लाल व श्यामराधे जो कि बबोलराम की दूसरी संतान रामकिशोर के निःसंतान होने से अपना हिस्सा बबोलराम के पुत्र नन्द किशोर के पुत्र रामभुवन को दिये जाने से उक्त रामभुवन अपने भाइयों के साथ शामिल सरीके रहने से 2/3 हिस्सा पर तीनों को बराबर बराबर काबिज दखील होकर कास्त करते रहे। आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह भी तर्क किया गया है कि बबोलराम की उक्त संपत्तियों का कोई लैखिक विभाजन न होने से सुधार उपयोग व उपभोग का सुविधा अनुसार लाभ न ले पाने से उक्त रामभुवन, मालूके उर्फ श्याम राधे तथा रमाकांत बगैरह जो कि रामभुवन के भाई लाल जी कीसंताने हें के द्वारा अपने चाचा उमा प्रसाद की मृत्यु हो जाने से बंटवारा आवेदन पत्र न्यायालय तहसीलदार हनुमना के समक्ष प्रस्तुत किये जो प्रकरण कमांक 16/अ–27/86–87 दर्ज किया गया तथा दिनांक 22.7.87 को आदेश पारित किया गया जिसमें 41 किता भूमियां रामभुवन मलूके उर्फ श्यामराधे तथा रमाकांत को प्राप्त हुई तथा शेष भूमियां उनके चाचा को प्राप्त हुई, चाचा को प्राप्त भूमि पर कोई विवाद नहीं है। मात्र विवाद रामभुवन, मलूके उर्फ श्यामराधे, तथा रमाकांत पिता लाल जी को प्राप्त भूमियों पर है, चूंकि जो बंटवारा आदेश तहसीलदार द्वारा पारित किया गया, उसमें रामभुवन मलूके उर्फ श्यामराधे व रमाकांत का हिस्सा बताया गया है, लेकिन जो खसरे में इन्द्राज दर्ज किया उसने रामभुवन के नाम 2/3 तथा मलूके उर्फ श्याम राधे तथा रमाकांत का हिस्सा 1/6 –1/6 दर्ज किया गया और यही विवाद का मुख्य कारण है, चंकि आवेदकगण के पिता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और आदेश होने के वाद उनको यही विश्वास था कि भूमियां बराबर बराबर जैसा कि मौके पर प्राप्त हैं। खसरे में जानकारी होने पर तहसीलदार को आवेदन किया गया जिसे तहसीलदार ने निरस्त कर दिया । उनके द्वारा तर्क में यह भी कहा गया है कि प्रकरण कमांक 16/अ–27/86–87 में पारित आदेश दिनांक 22.07.87 के अनुसार प्रश्नाधीन आदेश में

उल्लिखित भूमियों 41 किता पर आवेदकगण के नाम बराबर बराबर रिकार्ड अद्यतन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4–अनावेदकगण के अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश उचित एवं सही है। उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि प्रकरण इस न्यायालय में प्रचलनशील नहीं है। अतः उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

5–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। तथा प्रकरण संलग्न अभिलेख का अध्ययन किया गया । अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रकरण इस न्यायालय में प्रचलनशीन है अथवा नहींइस बावत दिनांक 19.10.16 को अनावेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रति आवेदक को प्रदाय की जिसके उत्तर में उनके द्वारा इस बावत न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये है जिसमें **राजस्व निर्णय 2010 पेज 215 में यह प्रतिपादित किया गया है कि भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 –पुनरीक्षण शक्तियां–व्याप्ति न केवल आक्षेपित आदेश बल्कि समस्त अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों की वैधता का परीक्षण किया जा सकता है। 1986 राजस्व निर्णय 1 माननीय उच्च न्यायालय से अनुसरित। इससे स्पष्ट है कि प्रकरण पचलनशील है।** अनावेदक द्वारा प्रस्तुत प्रचलनशीलता का आवेदन निरस्त किया जाता है। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि पूर्व में तहसीलदार तहसील हनुमना जिला के प्रकरण कमांक 16/अ–26/86–87 में पारित आदेश दिनांक 22.7.87 द्वारा 41 किता रामभुवन मल्लू के उर्फ श्यामराधे व रमाकांत वल्द लालं जी के नाम पृविष्टि करने का आदेश दिया गया लेकिन पटवारी द्वारा पृविष्टि करते समय त्रुटि की गई जिसे सुधारने हेतु आवेदक द्वारा तहसीलदार तहसील हनुमना को आवेदन प्रस्तुत किया जिसे उनके द्वारा दिनांक 23.6.16 को आवेदन निरस्त करने में भूल की है। जब पूर्व में तहसीलदार द्वारा आदेश दिया जा चुका था तो पटवारी की गलती से गलत पृविष्ट होने पर उसे दुरूस्त करने का आदेश दिया जाना चाहिये।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार तहसीलदार तहसील हनुमना जिला रीवा का प्रकरण कमांक 16/अ–27/1986–87 में पारित आदेश दिनांक 22.7.87 के अनुसार रामभुवन, मल्लूके उर्फ श्यामराधे, व रमाकांत वल्द लाल जी के मध्य बराबर–बराबर का इन्दाज किया जाना चाहिये

किन्तु राम भुवन व मल्लूके उर्फ श्यामराधे की मृत्यु हो जाने से रामभुवन के स्थान पर उनके वारिस अनावेकदक कमांक 1 से 6 व मल्लूके उर्फ श्यामराधे के वारिस आवेदक कमांक 2 से 8 तथा रमाकांत के नाम स्वतः इन्द्राज किये जाने का निर्देश तहसीलदार हनुमना जिला रीवा को दिया जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर